न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 07/22

दायरा दिनांक 24.06.2022

मैमर्स आबजी आर्गेनिक फार्म रजिस्टर्ड कार्यालय डिग्गी हाउस, सी स्कीम, जयपुर जरिये भागीदार गिरवरसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत उम्र 52 वर्ष निवासी सांवराद तहसील लाडनू जिला नागौर राजस्थान

– अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. सरकार सरकार जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– रेस्पोन्डेन्टस्

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 249 ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग तहसील शाहाबाद बारां

<u>निर्णय–दिनांक 08.09.2022</u>

उपस्थित– अपीलाण्टस की ओर से–श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा ग्राम गुंजारी में खाता संख्या 106 आराजी खसरा नंबर 644/21 रकबा 5.00 बीघा सम्पूर्ण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा भूतपूर्व खातेदार खैरू पुत्र कंचनलाल व राजकुमारी पत्नि खैरू जाति किराड निवासी गुंजारी तहसील शाहावाद जिला बारां राज. से दिनांक 11.07.2011 को खरीद की, जो सबरजिस्ट्रार शाहावाद के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 47 में पृष्ठ संख्या 166 क्रम संख्या 2011000523 पर पजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 120 के पृष्ठ संख्या 133 से 142 पर चस्पा किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 11.07.2011 से उक्त आराजीयात पर मालिकाना हक की हैसियत से कायम है तथा हर प्रकार के लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं। अपीलार्थी उक्त भूमि का पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी है। ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग ने **<u>नामा. पेश हुआ, दस्तावेज के अभाव में खारिज</u>** का नोट अंकित कर नामान्तरण खारिज फरमा दिया गया, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग के समक्ष रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी थी, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस पर गौर नहीं कर सरसरी तौर पर रूटिन में दस्तावेज के अभाव में उक्त नामान्तरण खारिज फरमा दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पृत्यर्थी द्वारा जो नामान्तरण संख्या 249 दस्तावेज के अभाव में खारिज फरमा दिया गया है, उसे स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थी के हक में नामान्तरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर होकर जाकर रेस्पोन्डेन्टस की तलबी की गई। रेस्पोन्डेन्टस के विरुद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with CamScanner

अपीलान्टस की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि उन्होने ग्राम गुंजारी तहसील शाहावाद की आराजी खसरा नंबर 644/21 रकबा 5.00 बीघा सम्पूर्ण को जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र द्वारा भूतपूर्व खातेदार खैरू पुत्र कंचनलाल व राजकुमारी पत्नि खैरू जाति किराड निवासी गुंजारी तहसील शाहावाद जिला बारां राज. से दिनांक 11.07.2011 को खरीद की है, जो सबरजिस्ट्रार शाहावाद के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 47 में पृष्ठ संख्या 166 कम संख्या 2011000523 पर पजीबद्व किया गया है। इस विकय की पालना में दर्ज किये गये नामान्तरण को सरपंच ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग ने दस्तावेज के अभाव में खारिज कर दिया है, जबकि विकयपत्र की प्रति अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अपीलाण्टस के इस कथन के आलौक में पत्रावली में संलग्न रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि संलग्न नकल नामान्तरण संख्या 249 दस्तावेज के अभाव में खारिज किया गया है, जबकि इस नामान्तरण के कॉलम संख्या 14 में विकयपत्र का विवरण अंकित है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरण विकयपत्र दिनांक 11.07.2011 की पालना में ही दर्ज किया गया है, जिसे मूल अथवा असल विकयपत्र के अभाव में खारिज किया गया है। इसके अलावा अन्य कोई आक्षेप नहीं है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर तहसील शाहावाद को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा आराजी खसरा नंबर 644/21 रकबा 5.00 बीघा ग्राम गुंजारी तहसील शाहावाद के अपीलार्थी के हक में पंजीकृत विकयपत्र दिनांक 11.07.2011 की मूल अथवा प्रमाणित प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत करने पर मुताबिक विकयपत्र अपीलार्थी के हक में नामान्तरण दर्ज किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.13 16:55:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner